

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियाँ एव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के ध्यानार्थ

हरियाणा सरकार द्वारा सोधितस्कीम डा० अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना वर्ष २००९-१०

से प्रारम्भ की गई हैं । इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युगमें अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना है । अतः उक्त स्कीम के अन्तर्गत उन छात्रोंको छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया जायेगा जो परीक्षा में प्रकृष्ट उपलब्धि प्राप्त करेंगे, ताकि उनका मनोबल और बढे और वे शिक्षा के क्षेत्र में उचाईयों प्राप्त कर सकें ।

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में आवेदन पत्र आमत्रित करने के लिये योग्यता तथा छात्रवृत्ति की दरोंका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आवेदन पत्रदेने की आधार परीक्षा की पास कक्षामें प्रतिशतता	कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी	छात्रवृत्ति की दर (प्रति वर्ष)
	भाहरी ग्रामीण		
१	२	३	४
मिडल	७५ ७०	९ वीं	४०००/-
मैट्रिक	७५ ७०	१०+१ तथा सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष	८०००/-

१०+२	७५	७०	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष १) आर्ट्स २) कामर्स/साईंस तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सिज ३) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सिज ४) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	६०००/- ८०००/- ९०००/- १०,०००/-
ग्रेजुएशन	६५	६०	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष १) आर्ट्स/कामर्स/साईंस २) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सिज ३) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	९०००/- ११०००/- १२०००/-

ख) पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए छात्रों के लिए

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आवेदन पत्र देने की आधार परीक्षा क्षामें प्रति ततता	कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)	
	भाहरी ग्रामीण			
१	२	३	४	
मैट्रिक	८०	७५	१०+१ तथा सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	८०००/-

ग) पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी के छात्रों के लिए

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आवेदन पत्र देने की आधार परीक्षा की पास कक्षामें प्रति ततता	कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)	
	भाहरी ग्रामीण			
१	२	३	४	
मैट्रिक	९०	८५	१०+१ तथा सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सिजका प्रथम वर्ष	८०००/-

४-छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की शर्तें

- i)** विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए
- ii)** अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्गों के छात्रों को ये छात्रवृत्ति उक्त वर्णित कक्षाओंमें सभी स्टीमजमें आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दीजाएगी ।
- iii)** यह छात्रवृत्ति सभी सरकारी/गैरसरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयोंमें पढने वाले छात्रोंको प्रदान की जाएगी ।
- iv)** यह स्कीम मैरिट पर आधारित है । इसलिए जो छात्र इन वर्गों के छात्रों हेतु चलाई जा रही सामान्य स्कीमों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र इस स्कीम के अन्तर्गत भी छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे, परन्तु मैरिट आधारित किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे ।
- v)** जो छात्र केन्द्र भासित प्रदेा चण्डीगढ में पढ रहे हैं वे छात्र अपने आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी पंचकूला के कार्यालय मे जमा करवाएंगे जो छात्र दिल्ली व राज्य के बाहर पढ रहे है वे अपने आवेदन पत्र जिला कल्याण कल्याण अधिकारी, गुड गांवामें जमा करवाएंगे ।
- vi)** जो छात्र मान्यता प्राप्त बोर्ड/वि विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, छात्रवृत्ति लेनेका हकदार होगा ।

छात्र अपने आवेदन पत्र सम्बन्धित स्कूल/संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में दिनांक ३१ -१ २-२०१ १ तक जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पचास प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदन पत्र का प्रोफोर्मा नीचे दिया है ।

सुभाश गोयल, आई०ए०एस०
निर्देशक,
अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्ग,
कल्याण विभाग, हरियाणा ।